

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 22/प्रा.पत्र/2024
(GCMS No. 2024/28)

तारीख दायरा
30.01.2024

तारीख निर्णय
06.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, कै.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मीठूलाल आ. मांगीलाल जाति मोची नि. फौलाई, हाल तहसील रायथल
(मृतक जयें कायम मुकाम) :-

1. कैलाश आ. मीठूलाल जाति मोची निवासी फौलाई
2. जगदीश आ. मीठूलाल जाति मोची निवासी वृद्धाश्रम के पीछे, बून्दी
3. रामचरण आ. मीठूलाल जाति मोची निवासी फौलाई
4. गिरिराज आ. मीठूलाल मोची नि. चिन्ताहरण कोलोनी, गुना (म.प्र.)
5. कैलाशीबाई पत्नी मीठूलाल जाति मोची निवासी फौलाई तह.रायथल

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी मीठूलाल को किये गये भूमि आवंटन
खसरा सं. 324 रकबा 0.85 हैक्टेयर वाकेग्राम गोपालपुरा आवंटन आदेश
दिनांक 31.08.2006 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि
आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 10/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/38 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी मृतक मीठूलाल के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर जर्ज नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के वारिसान के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि मीठूलाल आ. मांगीलाल कौम मोची निवासी फौलाई को दिनांक 31.08.2006 को भूमि खसरा सं. 324 रकबा 0.85 हैक्टेयर वाकेग्राम गोपालपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गोपालपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2075-2078 के अनुसार भूमि खसरा सं. 324 रकबा 0.85 हैक्टेयर पर अप्रार्थी मीठूलाल आ.मांगीलाल कौम मोची निवासी फौलाई गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं आईएलआर दिनांक 16.10.2020 अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काशत नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है।

यहां उल्लेखनीय है कि आवंटी मृतक ग्यारस्या के कायम मुकाम बनाये जाने हेतु उनके वारिसान के संबंध में तहसीलदार रायथल से सूचना चाही गई। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट कायम मुकामान को वर्तमान निवास के पते पर नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आये। इससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मीठूलाल आ. मांगीलाल कौम मोची निवासी फौलाई को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 324 रकबा 0.85 हैक्टेयर वाकेग्राम गोपालपुरा दिनांक 31.08.2006 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी